

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./316

सूरजपुर, दिनांक/ 24 / 01 /2024

प्रति

निदेशक,

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीपत रोड़ बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 of

the Forest (Conservation) Act, 1980 in Favour of M/s Prakash Industries Limited for Non-Forestry use of 515.581 hac. (201.806 hac for Underground Mining) of forest land for Coal mining in Bhaskarpara Coal block under Surajpur District of Chhattisgarh State (Online Proposal - FP/CG/MIN/149564/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-09/2023-FC दिनांक 21.08.2023

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु सूरजपुर जिले में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र कुदरगढ़ अन्तर्गत आने वाले संरक्षित वनभूमि 113.246 हे., नारंगी वनक्षेत्र 35.549 हे. तथा ग्राम राजस्व वनभूमि 366.786 हे. कुल वनभूमि रकबा 515.581 हे. क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य हेतु का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली द्वारा जारी की गयी है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली के अधिरोपित शर्त क्रमांक- ii के परिपालन में परियोजना में प्रभावित कुल वनभूमि 515.581 हे. क्षेत्र में से ओपन काष्ठ खनन के लिए प्रस्तावित 313.775 हे. क्षेत्र के बदले समतुल्य गैर वनभूमि का चयन खैरागढ़ वनमण्डल में स्थित भूमि रकबा 56.248 हे., बलरामपुर वनमण्डल में स्थित भूमि रकबा 83.454 हे. एवं चांपा वनमण्डल में स्थित शासकीय घास भूमि रकबा 174.085 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। चयनित क्षेत्र 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24) की वर्तमान दर अनुसार कुल आवश्यक राशि रु. 291575659.00 (उनतीस करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार छः सौ उनसठ रुपये) मात्र है एवं अधिरोपित शर्त क्रमांक- xxi के परिपालन में उक्त प्रकरण के एवज में वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-550/106 दिनांक 23.05.2022 के अनुसार कुल आवश्यक राशि रु. 34595000.00 का अनुमोदन किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2023-24) एवं वन्यप्राणी संरक्षण योजना के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 313.787 हे. के बदले समतुल्य गैर वनभूमि की राशि	291575659.00
2	वन्यप्राणी संरक्षण योजना	34595000.00
योग :-		326170659.00

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त भुगतान CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई-चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट <http://parivesh.nic.in> द्वारा किया जाना है। ई-चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट में ई-चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित कुल वनभूमि 515.581 हे. में से खुली खदान हेतु कुल रकबा 313.775 हे. क्षेत्र के बदले समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं वन्यप्राणी संरक्षण योजना की राशि **रु. 326170659=00 (बत्तीस करोड इकसठ लाख सत्तर हजार छः सौ उनसठ रूपयें)** मात्र का भुगतान CAMPA खाता में ई-चालान के माध्यम से जमा कर ई-चालान की कॉपी एवं प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र सहित इस कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें।

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 317

- प्रतिलिपि:—
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

सूरजपुर, दिनांक/ 24 /01 /2024


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर